



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-27.06.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ऊन रोड पर चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 घायल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस, चोरी किया हुआ तांबे का तार व घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद -

ज्ञात हो कि दिनांक 22/23.06.2025 की रात्रि में श्री सर्वेन्द्र पुत्र इकबाल सिंह निवासी दरगाहपुर थाना झिंझाना जनपद शामली व अन्य रोहित पुत्र वेद सिंह , अंकित पुत्र यशवीर, यशपाल पुत्र सुधीर, गुरनाम पुत्र भोपाल, अनिल पुत्र जगदीश निवासीगण सिकन्दरपुर की ग्राम सिकन्दरपुर स्थिति ट्यूबवैलों से अज्ञात चोरो द्वारा कटआउट व केबल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिनांक 24.06.2025 को वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन कर अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 26.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट/रंगदारी/अपहरण की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ऊन रोड पर चैकिंग के दौरान ट्यूबवैल चोरी की घटना में लिप्त 02 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 01 घायल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस, ट्यूबवैल से चोरी तांबे का तार व घटना में प्रयुक्त गाडी बरामद हुई है। घायल अभियुक्त इस्लाम को उपचार हेतु सीएचसी झिंझाना भेजा गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता अभियुक्तगण-

- 1.इस्लाम पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली। (घायल)
 - 2.फरमान उर्फ गुल्लू पुत्र मकबूल निवासी मौहल्ला हकीकतनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
- आपराधिक इतिहास अभियुक्त इस्लाम उपरोक्त:-
- 1.मु0अ0स0 194/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
 - 2.मु0अ0स0 302/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।
 - 3.मु0अ0स0 317/2024 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।
 - 4.मु0अ0स0 417/2023 धारा 379 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अवैध 01 तमंचा मय 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर। (अभियुक्त इस्लाम)
- 2.अवैध चाकू। (अभियुक्त फरमान)
- 3.चोरी किया हुआ तांबे का तार 1.5 किग्रा0।
- 4.चोरी की घटना में प्रयुक्त गाडी पोलो रजि न0 HR 29 AV1591।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5. है0का0 अमित सांगवान थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
6. है0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
7. है0का0 प्रदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
6. का0 सुरेन्द्र राणा थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
7. का0 सुमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
8. का0 शान्तनु कुमार थाना झिंझाना जनपद शामिल ।



थाना शामिल/झिंझाना/कांधला/बाबरी/आदर्शमंडी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 11 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 27.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामिल के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामिल/झिंझाना/कांधला/बाबरी/आदर्शमंडी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 11 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नौशाद पुत्र अय्युब निवासी ग्राम बिडौली सादान थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
2. कमर अब्बास पुत्र छंगा निवासी ग्राम बिडौली सादान थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
3. नसीम पुत्र मीनूद्दीन निवासी ग्राम बिडौली सादान थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
4. आशु पुत्र रहीसू निवासी मौहल्ला सलारा कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
5. सरमोद पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम कुडाना थाना कोतवाली शामिल जनपद शामिल ।
6. कमल उर्फ सोनू पुत्र राजपाल निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्शमंडी जनपद शामिल ।
7. तैमूर पुत्र यामीन करुलिया निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामिल ।
8. आदेश उर्फ छोटू पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर ।
9. अजय पुत्र हरपाल निवासी ग्राम डांगरौल थाना कांधला जनपद शामिल ।
10. विककी पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामिल ।
11. रवि पुत्र सेवाराम निवासी मौहल्ला ठाकूर द्वारा कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामिल ।





थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौतरा में दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में लिप्त 03 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 27.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी झिंझाना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस

द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौतरा में दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में लिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.आरिफ पुत्र सलामू निवासी ग्राम चौतरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.प्रवेज पुत्र मतलूब निवासी ग्राम चौतरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.आरिफ उर्फ करीमू पुत्र वाजिद निवासी ग्राम चौतरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री सतीश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.है0का0 खालिद अखलाक थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.हो0गा0 रामकुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2003 में अभियुक्त अनवर पुत्र सुबरती निवासी करमूखेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 412/2003 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2004 में अभियुक्त अनवर पुत्र सुबरती निवासी करमूखेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 22/2004 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2003 में अभियुक्त गरीबा पुत्र सूबेसिंह निवासी कैडी थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0स0 78/2003 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 27.06.2025 को माननीय न्यायालय एसीजे/जेडी/जेएम कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।